रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112022-239988 CG-DL-E-02112022-239988

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4878] No. 4878] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5097(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्धारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग में केंद्रीय सरकार इस प्रकार संलग्न अनुसूची के कॉलम (२) में उल्लेखित अधिकारीयों को अधिकृत करती है | आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी अधिनियम के तहत इस तरह के प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में निर्दिष्ट भू-खण्ड के संबंध में झारखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना चरण- ॥ (लॉट-9 पैकेज-3) के तहत वाराणसी से कोलकाता तक 4/6 लेन (ग्रीन फील्ड) एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी रिंग रोड किमी 0+000 (बरहुली गांव के पास) से किमी 610+417 एनएच-16 (उलुबेरिया गांव के पास), हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल राज्य तक। (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य) पीआईयू धनबाद के अंतर्गत किमी 307+000 से किमी 377+500 तक और किमी 398+000 से किमी 400+500 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन बनाने, बाईपास आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों, और गांवों के लिए सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करती है।

7279 GI/2022 (1)

अनुसूची

भारतमाला परियोजना चरण- II (लॉट-9 पैकेज-3) के तहत वाराणसी से कोलकाता तक 4/6 लेन (ग्रीन फील्ड) एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में) पीआईयू धनबाद के अंतर्गत किमी 307+000 से किमी 377+500 तक और किमी 398+000 से किमी 400+500 तक का निर्माण के संबंध में भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	17)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी. 345.36 से 377.5 तक		बोकारो	जरीडीह	1 कमलापुर (165)

[फा. सं. 11015/5/PD/DHN] राजेश गृप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

S.O. 5097(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to alignment in district, taluk, and villages mentioned in column (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Development of 4/6 lane (Green Field) access control expressway from Varanasi to Kolkata from Varanasi Ring Road Km 00.000 (near Barhuli village) to Km 610.417 NH-16, near Uluberia, Howrah District, West Bengal in the state of Uttar Pradesh ,Bihar Jharkhand and West Bengal under Bharatmala Pariyojana Phase-II (lot-9 package-3) Under PIU Dhanbad Km 307+700 to KM 377+500 and Km 398+000 to Km. 400+500, building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JHARKHAND

SCHEDULE

Land acquisition for Development of 4/6 lane (Green Field) access control expressway from Varanasi to Kolkata in the state of Uttar Pradesh ,Bihar Jharkhand and West Bengal under Bharatmala Pariyojana Phase-II (lot-9 package-3) Under PIU Dhanbad Km 307+700 to KM 377+500 and Km 398+000 to Km. 400+500 in the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Officer,	345.36KM To 377.5KM	JHARKHAND	BOKARO	Jaridih	1 Kamlapur (165)

[F. No. 11015/5/PD/DHN]
RAJESH GUPTA, Director